

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 368] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 1983/भाद्र 28, 1905
No. 368] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 1983/CHADRA 28, 1905

इस भाग से अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे यह रजिस्ट्रार संकेतन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1983

आ०का०नि० 732 (अ) —केंद्रीय सरकार, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधि-
नियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपाया (1) के खण्ड
(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, मेवालय वन्य प्राणी (संरक्षण)
और संरक्षण) नियम, 1977 का संशोधन करना के लिए निम्नलिखित नियम
बनाती है, अर्थात् —

R

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 368] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 203/सं० 28, 1905
No. 368] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 1983/SHADRA 28, 1965

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन में रखे जा सकें

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1983

सांका०नि० 732 (अ) --केन्द्रीय सरकार, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेवालय वन्य प्राणी (संव्यवहार और वर्मपूर्ण) नियम, 1977 का संशोधन कर के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् --

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मेघालय वन्य प्राणी (सम्बन्धवार और चर्मपूर्ण) संशोधन नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित की जातीय का प्रवक्त हयें।

2 मेघालय वन्य प्राणी (सम्बन्धवार और चर्मपूर्ण) नियम, 1977 के नियम 4 के उपनियम (1) में "गा। दिग। प्रब्दी के स्थान पर "तीस दिन" रखे जायेंगे।

[सं० 1-11/79-एफ आर वार्ट (डब्ल्यू एल) (XXI)]

समर सिंह, मयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 1983

G.S.R. 732(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Meghalaya Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules, 1977, namely :—

1. (1) These rules may be called the Meghalaya Wild Life (Transactions and Taxidermy) Amendment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (1) of rule 4 of the Meghalaya Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules, 1977, for the words "seven days", the words "thirty days" shall be substituted.

[No. 1-11/79-FRY(WL) (XXI)]

SAMAR SINGH, Jt. Secy.